न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 117 / III / ~~2014~~ 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-10-2006 पारित द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्र0क0 287 अ 19 / 05–06

भरत पुत्र भगवत लोधी
ग्राम डूडा तहसील टीकमगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश — आवेदक

विरूध्द

म0प्र0शासन व्दारा अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा

अनावेदक की ओर से पैनल अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 12-6 – 2014 को पारित)

आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 287 / अ–10 / 2005 06 अपील में पारित आदेश दिनांक 04–10–2006 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी, किन्तु आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को निगरानी में बदलकर श्रवण करने का निवेदन स्वीकार कर यह आदेश पारित किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त बड़ागॉव (धसान) तहसील टीकमगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम डूडा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2431 एंव 2432 कमशः रकबा 0.644 हैक्टर एंव 0.450 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर पिछले 30 वर्ष से कब्जा करके खेती करता आ रहा हूँ इसलिये नियमानुसार भूमिस्वामी पट्टा प्रदान किया जावे। नायब तहसीलदार ने प्रकरण कमाक 5 अ 19 / 02 03

पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 2–7–2003 पारित किया एवं वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक को कर दिया।

अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने भूमि व्यवस्थापन में अनियमितता करना बताते हुये कलेक्टर टीकमगढ को प्रतिवेदन दिनांक 1.5.2004 प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदक के विरूद्व स्वमेव निगरानी कमांक 35 / 2003–04 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया, आवेदक अभिभाषक सहित उपस्थित हुआ और सूचना उपरांत वाद से जानबूझकर अनुपस्थित हो गया। कलेक्टर टीकमगढ ने अनावेदक के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 9–8–04 पारित किया तथा भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें पाने से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 2–7–2003 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 287 / अ–10 / 2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 04–10–2006 से निरस्त हुई, इसी आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई, जिसे निगरानी में परिवर्तित किया गया है।

3 / आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4 / आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 5 अ 19 / 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 2–7–2003 से वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में किया है। विचार योग्य है कि क्या दिनांक 2 7 2003 को भूमि बन्टन / व्यवस्थापन की शक्तियॉ नायव तहसीलदार को थीं? मान. उच्च न्यायालय (डी.बी.) के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 2496 / 02 प्रस्तुत हुई है जिसमें पारित आदेश दिनांक 5 8 - 2002 से बन्टन / व्यवस्थापन पर रोक लगा दी गई। इस रोक के कम में म0प्र0शासन,राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल व्दारा ज्ञापन कमांक एफ–16–18 / 2007 / सा 2–ए दिनांक 30.6.2007 जारी

किया तथा नायब तहसीलदार/तहसीलदार से बन्टन/व्यवस्थापन की शक्तियॉ वापिस लेकर कलेक्टर मे वेष्ठित कर दी गई। स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5--8-2002 से बन्टन/व्यवस्थापन पर रोक के बावजूद नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 2-7 2003 से वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में करने का अधिकारितारहित आदेश पारित किया है जिसे कलेक्टर टीकमगढ़ ने निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर के आदेश को आयुक्त, सागर सभाग, सागर ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 287/अ-10/ 2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 04-10-2006 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर